PUNJAB STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Site no. 126, Sector 69, SAS Nagar - 160069
Ph. No. 0172-2216750, 0172-2216690
Toll Free : 1968
e-mail : ms@punjab.gov.in
website: www.pulsa.punjab.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

Arun Gupta
(District & Sessions Judge)
Member Secretary

PULSA/2021/ 7718
Dated, S.A.S. Nagar 23.11.2021

To

All the Learned Chairpersons,
District legal Services Authorities,
in the State of Punjab.

Sub:- Brief note regarding Preamble of Constitution.

Sir/Madam,

In celebration of Constitution Day on 26.11.2021, one of the NGO namely Kailash Satyarathi Children's Foundation has prepared a brief note regarding Preamble of the Constitution and requested to issue the instructions to the School Principals and Incharges of the districts in the State of Punjab to have the reading of this brief note by the students. A copy of the same is enclosed herewith.

Your goodself is, therefore, requested to issue the directions to the quarters concerned to ensure the compliance of the same.

Regards,

Member Secretary

Endst. No. 7719 dated 23.11.2021

Copy forwarded to all the Secretaries, DLSAs for strict compliance of the same.

Member Secretary

[illegible] ... 2021371087 ਮਿਤੀ 24.11.2021

[illegible] 26.11.2021 [illegible]

[illegible]

[illegible]
Chief Executive Officer, KSCF
Fellow, Satyarthi Global Policy Institute for Children, KSCF
Former Member, National Human Rights Commission
Former DG, NIA & Special Director, CBI

SATYARTHI
KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

To,

Smt. Arun Gupta,

Member Secretary,

State Legal Services Authority, Punjab

Dear Sir,

Greetings from Kailash Satyarthi Children's Foundation!

Kailash Satyarthi Children's Foundation (KSCF) was founded by Sh. Kailash Satyarthi with the mission to eliminate all forms of violence against children and to create a world where all children are free, safe, and healthy and receive quality education. The KSCF aims to achieve this mission by collaborative action, strengthening national and global policies, building capacity of duty bearers, identifying and replicating best practices in the implementation of the policy or regulatory framework and to bridge the trust deficit between the various stakeholders in child protection.

The entire Nation has been celebrating Constitution Day on 26th November every year. To instill the values of justice, equality, liberty and fraternity among our children and to make them aware of their rights and duties we intend to reach out to children and adolescents in all the Schools of Punjab.

To achieve this objective, we intend to distribute to these institutions papers containing the following:
(a) Preamble of the Constitution
(b) A brief note explaining the rights & duties enshrined in our Constitution for adolescents.

You are therefore requested to kindly issue instructions to the School Principals/Incharges of all the district in Punjab regarding reading of the preamble of the Constitution and the brief note as mentioned above in all the Schools in Punjab. I shall be extremely grateful for the same. You would agree that making our children and adolescents aware of the spirit of our Constitution as also their rights & duties is a laudable objective and hence is deserving of support of the State Government.

I look forward to your support in this noble endeavor. Please find the attached documents.

Scanned with CamScanner

With regards,
Yours sincerely,

New Delhi
Date: 20th November 2021

S.C. Sinha
Chief Executive Officer

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

Scanned with CamScanner

SATYARTHI

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Towards a new dawn

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ, 26 ਨਵੰਬਰ 2021

ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼, ਸਾਡੇ ਹੱਕ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ

ੳ	**ਅ**	**ੲ**
ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।	ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।	ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਈ	**ਉ**	**ਊ**
ਈਸ਼ਵਰ(ਰੱਬ) ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।	ਉਚਿਤ (ਸਹੀ) ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।	ਊਰਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਏ	**ਐ**	**ਔ**
ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।	ਐਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜਲਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕੇ।	ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Scanned with CamScanner

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ, 26 ਨਵੰਬਰ 2021

ਸਾਡੇ ਫ਼ਰਜ਼, ਸਾਡੇ ਹੱਕ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ

ਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ	**ਖ** [illegible]	**ਗ** ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ [illegible] ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ।	**ਚ** [illegible]
ਛ ਛੂਤਛਾਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ।	**ਜ** ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ [illegible] ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।	**ਧ** ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ।	**ਨ** ਨਿਸ਼ੁਲਕ (ਮੁਫ਼ਤ) ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪ ਪਛੜਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।	**ਬ** ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।	**ਭ** ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।	**ਮ** [illegible]
ਵ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।	**ਸ਼** ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ [illegible] ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।	**ਸ** ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ।	**ਹ** ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

SATYARTHI
KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Towards a new dawn

संविधान दिवस, 26 नवंबर 2021

हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकार

बच्चों! आप सभी को संविधान दिवस की हादिरक बधाई| संविधान दिवस केबारे में जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि संविधान क्या है? इसकी क्या आवश्यकता है? आदि|

बच्चों आप सभी जानते हैं कि आज से 75 साल पहले हमारा देश एक गुलाम देश था| क्या आप गुलामी का मतलब समझते हैं? जी हाँ, बिलकुल सही! गुलाम या गुलामी का मतलब है, जिसमें दूसरों का हुक्म या आदेश मानना पड़े और अपनी मर्जी से कोई काम करने की इजाजत न हो|

आज से लगभग 100 साल पहले या उससे भी पहले हमारे देश केएक महान नेता महात्मा गांधी, आप सभी ने उनका नाम सुना ही होगा, ने एक आंदोलन या कहो एक तरह की लड़ाई छेड़ी और वो आंदोलन या लड़ाई थी, हमारे देश को आजाद करने केलिए ताकि हम अपने देश को अपने तरीकेसे चला सकेंऔर किसी के गुलाम न रहें| इस आंदोलन या लड़ाई का नतीजा ये रहा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश उस गुलामी से आजाद हो गया और तब से हम एक आजाद देश हो गए| अब आजाद होने के बाद एक महत्वपूणर मुददा सामने आया कि हमारा देश (आजादी के बाद) किस प्रकार का होगा और किन नियमों और सिदधांतों पर चलेगा| फिर इन सिदधांतों और नियमों को लिखने केलिए सबने मिलकर एक समिति बनाई| इस समिति ने बहुत विचार-विमशर करके एक पुस्तक बनाई और इस पुस्तक में उन सभी नियमों और सिदधांतों को लिखा, जो हमारे देश को सुचारु रूप से चलाने केलिए अनिवायर हैं| इसी पुस्तक को संविधान कहा जाता है| इस पुस्तक (संविधान) में देश को जिस तरीकेसे चलाया जाएगा, उन सभी नियमों या सिदधांतों का वणरन या जिक्र किया गया है|

हमारे देश का संविधान नवम्बर 1949 में बनाया गया था यानि आज से 72-73 साल पहले| हमारे देश की संवैधानिक सभा ने इस संविधान को 26.11.49 को स्वीकार किया या अपनाया| बच्चों, ये जो संविधान लिखा गया है, हम सब उसे स्वीकार करते हैं और अपने देश को सुचारु रूप से चलाने केलिए इसमें लिखे गए नियमों और सिदधांतों का पालन करते हैं|

हमारे इस संविधान में सबसे बड़ी बात ये लिखी गई है कि हमारे देश केहर नागरिक का क्या हक होगा और देश केसभी नागरिकों, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, केक्या कतरव्य हैं, क्या जिम्मेदारियाँ हैं या होंगी?

Scanned with CamScanner

भारत के नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और देश में एकता बनाए रखने के लिए हमारे देश के नागरिकों के लिए हमारे संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य दिये गए हैं, जो इस प्रकार हैं –

1) हमारा कर्तव्य है कि हम सब संविधान का पालन करें| राष्ट्र ध्वज को फहराते समय तथा राष्ट्रगान गाते समय सावधान की मुद्रा में खड़े रहकर इसका सम्मान करें|
2) आपस में सद्भाव (यानि आपस में लड़ाई न करें) और भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा दें|
3) हमें कड़ी मेहनत से आजादी मिली है| हमें इसकी महत्ता को समझना चाहिए और सही तरीके से इस स्वतन्त्रता का पालन करना चाहिए|
4) हमें हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए|
5) हमें आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए| धर्म, भाषा, जाति, प्रदेश आदि के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए| हमें महिलाओं को इज्जत देनी चाहिए, उनके साथ सम्मान से बातचीत करनी चाहिए|
6) हमें हमारी विविध और गौरवशाली संस्कृति का सम्मान व उसकी रक्षा करनी चाहिए|
7) हमें हमारे पर्यावरण व प्रकृति की, जैसे – वन, झील, नदी, पेड़, पौधे, वन्य जीवन आदि की रक्षा व उन के प्रति दया भाव रखना चाहिए|
8) हमें अपने अंदर वैज्ञानिक सोच, ज्ञान तथा समाज में सुधार की भावना को विकसित करना चाहिए|
9) सार्वजनिक संपत्ति जैसे – पार्क, स्मारक, सड़क, स्कूल, खेल के मैदान, संग्रहालय आदि को गंदा नहीं रखना चाहिए|
10) हम जो भी कार्य करें, उसमें अपना सर्वोत्तम दें, जिससे हमारा देश भी निरंतर आगे बढ़ता हुआ ऊंचाईयों को छुये|

आओ, अब हम हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों के बारे में बात करेंगे|

बच्चों, जो अधिकार हमारे संविधान में कहे गए हैं, उनमें सबसे पहला अधिकार है, बराबरी का अधिकार! बराबरी के अधिकार का मतलब है कि देश का हर एक नागरिक एक समान या बराबर है, यानि न कोई बड़ा है और न कोई छोटा| देश का कानून और जो लोग देश चला रहे हैं, उनकी नजरों में हर व्यक्ति या कहें हर नागरिक बराबर है| और संविधान में यह भी कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग या अन्य किसी आधार पर भी हमारे देश में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा|

Scanned with CamScanner

इसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार, जो हमारे देश के संविधान में दिया गया है, वो है, अपने विचारों और बातों को कहने की स्वतन्त्रता का अधिकार| यानि यदि हमारे मन में कोई बात है या हम कुछ कहना चाहते हैं, तो हम बिना डरे अपनी बात कह सकते हैं और अपनी बात कहने के लिए कोई हमें सजा नहीं दे सकता या कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती|

तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है, हम सबकी आजादी और जीवन की सुरक्षा का अधिकार| इसका मतलब है कि हमारे जीवन और आजादी पर सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही अंकुश लगाया जा सकता है| यानी सरकार किसी भी व्यक्ति को बगैर (बिना किसी) कारण या अपराध के जेल में नहीं डाल सकती| इसी प्रकार जीने के अधिकार के तहत हम सबके पास खाने के लिए खाना और सिर पर छत होनी चाहिए|

हमारा संविधान यह अधिकार भी देता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के हर बच्चे को देश और राज्य सरकार द्वारा अच्छी और नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी|

एक और महत्वपूर्ण अधिकार है – इन्सानों के व्यापार पर निषेध| यानी हमारे देश में कोई भी इन्सानों का व्यापार नहीं करेगा| ये गैर-कानूनी है| इसमें बच्चे और महिलाएं दोनों शामिल है| हमारे संविधान में गैर-कानूनी कामों या शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों की खरीद—फरोख्त की सख्त मनाही है| यानि इन कामों की मनाही है और इसे गैर-कानूनी करार दिया गया है|

इसी तरह से हमारा संविधान ये भी कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कोई भी खतरनाक काम नहीं करेगा| हमारे संविधान में यह अधिकार भी है कि हम जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म का प्रसार कर सकते हैं| यानि उसके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते है| अपने धर्म के अनुसार पूजा-पाठ कर सकते हैं| हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बनवा सकते हैं या हमारा धर्म जो कर्मकांड करने को कहता है, वो सब कार्य करने की अनुमति हमारा संविधान देता है|

आखिरी और महत्वपूर्ण अधिकार, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं – वो है, हमारे देश में कुछ ऐसे धर्म, जिनको मानने वालों की संख्या काफी कम है यानि सिख, ईसाई, मुसलमान आदि| हमारा संविधान उन कम संख्या वाले लोगों यानि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी देश और राज्यों को देता है| ये अल्पसंख्यक समुदाय अपने धर्म का पालन बिना किसी डर के करें| राज्य सरकारें इनको पूरी सुरक्षा और संरक्षण दें|

जय हिन्द, जय भारत !!

Scanned with CamScanner